

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /३८(४) / ए.री.एस./ जी.ए.डी./ २०२०
प्रति,
AC/649

भोपाल दिनांक 22.03.2020

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सगरता विभाग प्रमुख
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. सगरता कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

विषय : नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समरांख्यक आदेश क्रमांक 38 दिनांक 19 मार्च 2020 को अधिक्रमित करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुगति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं –

1. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अरथाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को सगरता प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस रीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशाभाग के लिए किसी भी रूपरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की रिथति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
6. यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे – स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुड़ा अमल, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

WV

7. यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनरथ शारकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में राक्षग प्राविकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी रावैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यरथ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य रामस्त आवश्यक सावधानियाँ रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. रामस्त विभाग इस सम्बन्ध में रामस्त अधीनरथ शारकीय कार्यालयों/शारकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा-निर्देश तत्काल जारी करेंगे।
9. रामस्त जिला कलेक्टरा इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में रामुचित निर्णय ले सकेंगे।
10. यह आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

WU_2203|2020

(के.के. सिंह)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक / 3807/A/2020 / ए.सी.एस./ जी.ए.डी./ 2020

भोपाल दिनांक 22.03.2020

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/गार्थगिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, /सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. भोपाल।
6. आयुक्त, जनरांपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल।
7. अपर सचिव, सा.प्र.वि. 7(1) की ओर येक्साईट पर अपलोड करने हेतु।

WU_2203|2020

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग